

38/2015

13/03/23
पत्रावली पेश हुई। वकील पदाकारान उप
पी. ओ. साहब दोरे/अवकाश पर पधारे है। अत
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. 23/03/23

13/03/23
पत्रावली पेश हुई। वकील पदाकारान उप
पी. ओ. साहब दोरे/अवकाश पर पधारे है। अत
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. 23/03/23

18/09/23
पत्रावली पेश हुई। वकील पदाकारान उप
पी. ओ. साहब दोरे/अवकाश पर पधारे है। अत
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. 18/09/23

18/09/23
पत्रावली पेश हुई। वकील पदाकारान उप
पी. ओ. साहब दोरे/अवकाश पर पधारे है। अत
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. 18/09/23

27/03/24
पत्रावली पेश हुई। वकील पदाकारान उप
पी. ओ. साहब दोरे/अवकाश पर पधारे है। अत
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. 27/03/24

पत्रावली नियत दिनांक 27/03/24 से पूर्व/बाद में
न्यायालय द्वारा राजस्व प्रकरणों में मुनवाई हेतु पारित
आदेश अनुसार आगामी नियत दिनांक 14/04/24
को पेश हो।

आदेशानुसार

सिंडर

उपरवण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

14/02/24

पत्रावली पेश हुई। वकील पदाकारान उप,
तारा अपनी साहब पेश करने हेतु समय
चाहा गया।

अत, अग्रिम में एक आदेश पत्र

अवकाश रिमा जाता है, पत्रावली दि. 22/04/24

को पेश हो

उपरवण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)

22/04/24
पत्रावली पेश हुई। वकील पदाकारान उप
पी. ओ. साहब दोरे/अवकाश पर पधारे है। अत
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दि. 22/04/24

03/06/24 पत्रावली पेश हुई। वकील पदाकारान उप, नदी
वकील वदी को एक-एक कर 5:30 PM तक
आवाज लगवाई गई। वकील वदी या उनका
कोई प्रतिनिधि उप. नहीं

अत, वदी के बाद को अदालत में
अग्रिम हाजरी में खारिज किया जाता है। पत्रावली
केवल श्रुत होकर पत्रावली नंबर रोकता है।

उपरवण्ड अधिकारी
किशनगढ (अजमेर)